1

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण, उ0प्र0
जगत नरायन रोड, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– मा0शि0क0/एम0डी0आर0/दिशा–निर्देश/2014–15/9557-15 दिनांक 24 दिसम्बर, 2014

विषय– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ''मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम'' के वित्तीय वर्ष 2014–15 में संचालन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि एनुअल हेल्थ सर्वे के बेस लाइन (2010–11) में उ0प्र0 का मातृ मृत्यु अनुपात 345 प्रति 1 लाख जीवित जन्म था जो प्रथम अपडेशन 2011–12 में घटकर 300 प्रति 1 लाख जीवित जन्म एवं द्वितीय अपडेशन 2012–13 की रिपोर्ट के अनुसार यह घटकर 258 प्रति 1 लाख जीवित जन्म हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत वर्ष 2017 तक इसे 200 प्रति 1 लाख जीवित जन्म तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। किसी भी प्रदेश में मातृ मृत्यु में कमी लाने के लिये मातृ मृत्यु समीक्षा एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो कि मातृ मृत्यु के विभिन्न कारणों एवं कारकों पर प्रकाश डालता है एवं उनको दूर करने में सहायता करता है। चिकित्सा इकाई एवं समुदाय के स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु प्रशिक्षण पुस्तिकाएं व हिन्दी/अंग्रेजी के समस्त 6 प्रारूप एन0आर0एच0एम0 उत्तर प्रदेश की अधिकृत वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर रिर्सोसेज मेटीरियल ऑप्शन पर उपलब्ध हैं। भारत सरकार द्वारा प्रेषित विस्तृत दिशा–निर्देश दिनांक 13 फरवरी 2013 भी वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर रिर्सोसेज के अन्तर्गत उपलब्ध हैं। वर्तमान वर्ष 2014–15 में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

1. जनपद स्तर पर गठित की जाने वाली समितियाँ–

1.1. **विकास खण्ड स्तरीय मातृ मृत्यु समीक्षा टीम (दल)** – ब्लॉक चिकित्साधिकारी/अधीक्षक के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तरीय मातृ मृत्यु समीक्षा **दल** का कार्य सभी मातृ मृत्युओं (चाहें वह घर पर हुयी हो, रास्ते में हुयी हों अथवा स्वास्थ्य इकाई में हुयी हों) की समुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा करना है। **(एम0डी0आर0 प्रपत्र 2 पर)**

1.2. **फैसिलिटी बेस्ड मातृ मृत्यु समीक्षा समिति** (फैसिलिटी नोडल आफीसर की अध्यक्षता में)

- मेडिकल कालेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में (विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में) **एवं**
- जिला महिला चिकित्सालयों (मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका की अध्यक्षता में) एवं चिन्हित एफ0आर0यू0 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में)

इन समितियों का कार्य चिन्हित स्वास्थ्य इकाई में हुयी सभी मातृ मृत्युओं की स्वास्थ्य इकाई आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा करना है **(एम0डी0आर0 प्रपत्र 1 पर)**

1.3. **जनपद स्तरीय मातृ मृत्यु समीक्षा समिति** (मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में)– इस समिति का कार्य जनपद में मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम की प्रगति एवं सभी तरह की मातृ मृत्युओं की

--2/-

समीक्षा की रिपोर्ट का अनुश्रवण करना है। यह समिति प्रत्येक माह बैठक करेगी एवं विकासखण्डवार प्रगति का अनुश्रवण करेगी। इस समिति के सदस्य सचिव जिला नोडल अधिकारी (एम0डी0आर0) होंगे जिनके स्तर पर सभी मातृ मृत्यु समीक्षाओं की **एम0डी0आर0 प्रपत्र** –3 पर प्राप्त केस समरी रिपोर्ट का रख–रखाव व विश्लेषण किया जायेगा। स्वास्थ्य इकाइयों पर हुयी मृत्यु की फैसिलिटी बेस्ड व कम्यूनिटी बेस्ड दोनों स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा होंगी जिनसे प्राप्त दोनों प्रपत्र 1 व 2 से केस समरी रिपोर्ट का संकलन एवं विश्लेषण भी जिला नोडल अधिकारी (एम0डी0आर0) के स्तर पर किया जायेगा।

1.4. **जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय मातृ मृत्यु समीक्षा बैठकें** – प्रत्येक त्रैमास जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कुछ कार्यक्रम प्रभारियों एवं विषय विशेषज्ञों के समक्ष चयनित मातृ मृत्युओं की समीक्षा प्रस्तुत की जायेगी एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गुणवत्ता के सुधार पर चर्चा कर निर्णय लिये जायेंगे। इस बैठक में मृत माताओं के परिवार के सदस्य भी प्रतिभाग करेंगे। इन सभी समितियों के गठन के लिये **संलग्नक–3** का सन्दर्भ लें।

2. 15 से 49 वर्ष के मध्य किसी भी महिला की मृत्यु की रिपोर्ट करने पर आशा को दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि–

2.1. गत वर्ष की भाँति आशाओं के माध्यम से मातृ मृत्यु सूचना प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन धनराशि रू0 200.00 प्रति मृत्यु रखी गयी है। (एफ0एम0आर0 कोड बी.1.1.3.1.2)। यह अपेक्षित है कि आशायें 15–49 के मध्य किसी भी गर्भवती महिला की मृत्यु की सूचना देंगी जिससे सभी मातृ मृत्यु दर्ज हो सकें इसलिये जनपद में अपेक्षित मातृ मृत्यु की संख्या से दो गुना संख्या के आधार पर धनराशि स्वीकृत की गयी है।

2.2. आशाओं को जानकारी दे दी जाये कि अपने क्षेत्र में होने वाली 15 से 49 वर्ष के मध्य किसी भी गर्भवती महिला की मृत्यु की सूचना जल्द से जल्द दूरभाष के द्वारा एवं मृत्यु के 1 माह के अन्दर प्रारूप–6 पर ए0एन0एम0 / ब्लॉक प्रभारी चिकित्साधिकारी को देने पर उन्हें प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य है। सभी ब्लॉक प्रभारी आशाओं का ससमय भुगतान सुनिश्चित करें।

3. सामुदायिक स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु प्रोत्साहन धनराशि–

गत वर्ष की भाँति प्रत्येक समुदाय आधरित मातृ मृत्यु समीक्षा के लिये रू0 300.00 की धनराशि (एफ0एम0आर0 कोड ए.1.4) प्राविधानित की गयी है। इस धनराशि का विभाजन दलों के सदस्यों में वास्तविक रूप में समीक्षा हेतु भ्रमण करने पर इस प्रकार देय होगा। (रू0 100.00 ब्लॉक चिकित्साधिकारी / अन्य चिकित्साधिकारी जो कि दल के सदस्य के रूप में समीक्षा करेगा, रू0 100.00 एल0एच0वी0 / स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एवं रू0 100.00 उस क्षेत्र की ए0एन0एम0 को)।

4. स्वतंत्र मातृ–मृत्यु समीक्षक दल द्वारा मातृ मृत्यु समीक्षा की पायलट परियोजना–गत वर्ष से उच्च मातृ मृत्यु अनुपात वाले 05 मण्डलों **(फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली, देवीपाटन व बस्ती)** के 20 जनपदों (फैजाबाद, बाराबंकी, सुलतानपुर, अमेठी, अम्बेडकरनगर, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बरेली, शाहजहाँपुर, बदायूँ, पीलीभीत, गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर व संतकबीरनगर) में 1–1 स्वतंत्र मातृ–मृत्यु समीक्षक दल का गठन किया गया है। यदि किसी जनपद में अभी भी स्वतंत्र

-3/-

मातृ मृत्यु समीक्षक दलों का गठन न किया गया हो या गठित दल निष्क्रिय हो या पिछले वर्ष कोई कार्य न किया गया हो तो उन्हें हटाकर उनके स्थान पर नये दल का गठन निम्नानुसार कर लिया जाये।

4.1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में नोडल अधिकारी, आर0सी0एच0 एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय की एक समिति गठित कर वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से स्वतंत्र मातृ–मृत्यु समीक्षक दल के सदस्यों का चयन कर लिया जाय जिसकी औपचारिक सूचना आगामी जिला स्वास्थ्य समिति में प्रस्तुत कर दी जाये।

4.2. स्वतंत्र मातृ–मृत्यु समीक्षक दल में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को वरीयता प्रदान की जाय किन्तु व्यापक प्रचार प्रसार के पश्चात भी एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक उपलब्ध न होने की स्थिति में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त आयुष चिकित्सकों का भी चयन किया जा सकता है। एक अन्य सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कार्यकर्त्री के चयन को वरीयता दी जाये जो मातृ मृत्यु के मुद्दे पर संवेदनशील हों।

4.3. स्वतंत्र समीक्षक दल द्वारा सामुदायिक मातृ मृत्यु समीक्षा– जनपद में होने वाली मातृ मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर यह दल तीन सप्ताह के अन्दर उस गांव का भ्रमण करेगा। यह दल मृतका के परिवार के सदस्यों, आशा, ए0एन0एम0 व समुदाय के सदस्यों के साथ बैठकर मृत्यु के कारणों व सामयिक घटनाओं का सत्य शोधन करेगा, तत्पश्चात एक सप्ताह के भीतर कम्युनिटी बेस्ड मातृ मृत्यु समीक्षा फार्म–2 भर कर विश्लेषण के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

4.4. वर्ष 2014–15 में स्वतंत्र समीक्षक दल को पूर्व की भाँति ही प्रति समीक्षा हेतु रू0 3000.00 की धनराशि (एफ0एम0आर0 कोड ए.1.5.5) स्वीकृत की गयी है (रू0 2250.00 चिकित्सक को, रू0 500.00 सामाजिक/स्वास्थ्य कार्यकर्त्री को तथा रू0 250.00 रिपोर्ट लेखन व अन्य व्यय हेतु, इस प्रकार रू0 3000.00 प्रति समीक्षा) जिसका भुगतान रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात किया जायेगा। रिपोर्ट लेखन एवं विश्लेषण की जिम्मेदारी दल के चिकित्साधिकारी की होगी एवं सामाजिक/स्वास्थ्य कार्यकर्त्री इसमें सहयोग प्रदान करेगी।

4.5. इस दल के भ्रमण हेतु अनुश्रवण के मद में उपलब्ध कराये जा रहे वाहन का उपयोग किया जायेगा जिसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी।

4.6. इस कार्यक्रम की नियमित मासिक सूचना प्रत्येक माह की 5 तारीख तक **प्रपत्र** (संलग्नक–1) पर मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से एस0पी0एम0यू0–एन0एच0एम0 स्तर पर **vkssinghal033@gmail.com** एवं **drlavkush25@gmail.com** पर ससमय प्रेषित किया जाय।

5. **जनपद एवं मण्डल स्तर पर कार्यक्रम की समीक्षा–** (एफ0एम0आर0 कोड **ए.1.5.3 एवं ए.1.5.4**)

5.1. **जनपद स्तर पर हर 02 माह में 01 बार मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में मातृ मत्यु समीक्षा कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा बैठकों का आयोजन–** जिला नोडल अधिकारी (एम0डी0आर0) जनपद स्तर पर हर 2 माह में एक बार मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन करें जिसमें सभी मातृ मृत्युओं की रिपोर्टिंग (समुदाय आधारित एवं स्वास्थ्य इकाई आधारित) एवं मातृ मृत्युओं की समीक्षाओं का विस्तृत अनुश्रवण किया जाये। जिसके लिये आपके जनपद को वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये कुल रू0 12000.00 की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। इसी

--4/--

बैठक में जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले केसों का चयन किया जाये जिनके परिवार के 2 सदस्यों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित मातृ मृत्यु समीक्षा बैठक में बुलाया जाना है। जिलाधिकारी की बैठक में मृतका के परिवार के सदस्यों को रू0 100.00 प्रति सदस्य धनराशि इसी मद से प्रदान की जानी होगी।

5.2. **जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम का प्रस्तुतीकरण**–प्रत्येक त्रैमास जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम की प्रगति का एक प्रस्तुतीकरण किया जायेगा। इस बैठक में मातृ मृत्यु के विभिन्न कारकों, देरियों और मृत्यु के स्थान में से कुछ चुने हुये केसों की समीक्षा रिपोर्ट विस्तृत विश्लेषण के साथ प्रस्तुत की जाये। इस बैठक में क्षेत्रवार मातृ मृत्यु के क्षेत्रीय कारणों का विश्लेषण कर विभिन्न विभागों द्वारा लिये जाने वाले एक्शन प्वाइंट पर भी चर्चा की जाये एवं गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर प्रगति भी प्रस्तुत की जाये। इन बैठकों के लिये अलग से कोई वित्तीय प्राविधान नहीं है।

5.3. **मण्डल स्तर पर मातृ मृत्यु की रिपोर्टिंग, ऑडिट व विश्लेषण हेतु त्रैमासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन**–प्रत्येक मण्डल स्तर पर अपर निदेशक की अध्यक्षता में त्रैमासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन एवं मीडिया को सम्बोधित किये जाने के लिये वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये प्रति मण्डल प्रति बैठक रू0–25000.00 की दर से 04 त्रैमासिक बैठकों के लिये कुल रू0–1,00,000.00 की धनराशि मण्डलीय जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है। इस बैठक में मण्डल के अन्तर्गत आने वाले सभी जनपदों के कार्यक्रम प्रभारी व सभी जनपदीय समितियों के अध्यक्ष प्रतिभाग करें। सभी जनपदों के प्रभारी इस बैठक के आयोजन से पूर्व जनपद स्तरीय बैठक आयोजित कर कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करें। उचित होगा कि इन बैठकों की अच्छी मीडिया कवरेज सुनिश्चित की जाये जिससे इस कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार व जानकारी जन–समुदाय तक पहुँचे।

6. **मातृ–मृत्यु से सम्बन्धित फॉर्म्स एवं विभिन्न रिपोर्टिंग प्रपत्र की वार्षिक छपाई**– मातृ–मृत्यु से सम्बन्धित फॉर्म्स एवं रिपोर्टिंग प्रपत्र की छपाई हेतु इस वर्ष भी सभी जनपदों को रू0–1000.00 प्रति ब्लाक एवं रू0–1000.00 जनपद स्तर की दर से (एफ0एम0आर0 कोड ए.1.5.2) धनराशि अनुमन्य है। इसी धनराशि से जनपद स्तरीय इकाईयों पर भी व्यवस्था की जाये।

7. **मातृ मृत्यु समीक्षा के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफ0एम0आर0 कोड ए.9.3.7.1)**– वर्तमान वर्ष 2014–15 में जनपद स्तर पर गठित सभी मातृ मृत्यु समीक्षा समितियों के सदस्यों एवं जनपद स्तरीय कार्यक्रम अधिकारियों की वृहद ट्रेनिंग से पूरे प्रदेश को आच्छादित करने की योजना है। इस प्रशिक्षण के लिये 02 मण्डलों के बीच 01 टी0ओ0टी0 बैच का आयोजन किया जायेगा तत्पश्चात जनपद स्तर पर प्रशिक्षण संचालित किये जायेंगे। इस प्रशिक्षण के विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से प्रशिक्षण अध्याय में सम्मिलित कर प्रेषित किये जा रहे हैं। टी0ओ0टी0 का कैलेण्डर मण्डल स्तर पर राज्य स्तर से प्रेषित किया जायेगा।

--5/-

8. अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग –

8.1. कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित किये गये जिला स्तरीय भौतिक प्रगति का रिपोर्टिंग प्रपत्र–18 A (संलग्नक–1) जो संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, पर नियमित रिपोर्टिंग प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से राज्य स्तर पर जे0एस0वाई0 सेल, परिवार कल्याण महानिदेशालय (mchjsy@gmail.com) को ससमय प्रेषित किया जाय।

8.2. स्वतंत्र मातृ–मृत्यु समीक्षक दल द्वारा मातृ मृत्यु समीक्षा की पायलट परियोजना की मासिक सूचना नियमित रिपोर्टिंग प्रत्येक माह की 5 तारीख तक संलग्न रिपोर्टिंग प्रपत्र (संलग्नक–2) पर मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से राज्य स्तर पर जे0एस0वाई0 सेल, परिवार कल्याण महानिदेशालय (mchjsy@gmail.com) को भेजी जाये तथा इसे एस0पी0एम0यू0–एन0एच0एम0 स्तर पर **vkssinghal033@gmail.com** एवं **drlavkush25@gmail.com** पर भी ससमय प्रेषित किया जाय।

8.3. इसके अतिरिक्त भारत सरकार को प्रेषित किया जाने वाला प्रपत्र एम–4 वेब बेस्ड रिपोर्टिंग सिस्टम पर उपलब्ध है जिसमें मातृ मृत्यु के कारकों व कारणों की भी सूचना प्रेषित की जाती है। इस प्रपत्र पर समस्त सूचनायें जिला नोडल अधिकारी अपने पर्यवेक्षण में भरवायेंगे जिससे सभी सूचनायें सत्य हों।

9. **वित्तीय व्यवस्था– वर्ष 2014–15 में मातृ मृत्यु सुरक्षा कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियां किये जाने के लिये एफ0एम0आर0 कोड** बी.1.1.3.1.2, ए.1.4, **ए**.1.5.2, ए.1.5.**5, ए.1.5.3, ए.1.5.4, ए**.9.3.7.1 **के अन्तर्गत धनराशि संलग्नक–4 पर प्रस्तुत जनपदवार फांट के अनुसार अवमुक्त की जा रही हैं।**

उपर्युक्त क्रम में यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाय कि–

- आशा/ए0एन0एम0/मृतका के परिवार के सदस्य को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायगा।
- प्राविधानित धनराशि का मदवार व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाय।
- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाय।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे, अतः समस्त नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

--6/--

- समस्त गतिविधियों की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय विवरण समयबद्ध रूप से एस0पी0एम0यू0– एन0आर0एच0एम0 तथा मातृ एवं शिशु कल्याण अनुभाग, परिवार कल्याण महानिदेशालय को निर्धारित प्रारूप **18 ए** (संलग्नक–1) पर को प्रेषित किया जाय।

भवदीय,

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

24/12/14

महानिदेशक
परिवार कल्याण

पत्रसंख्या मा0शि0क0/एम0डी0आर0/दिशा–निर्देश/2014–15/9632-11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2 मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3 महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
4 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7 समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक,जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्तचिकित्सालय,उ0प्र0।
8 महाप्रबन्धक, मातृ स्वास्थ्य/नियोजन, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9 वित्त नियंत्रक–एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,एन0एच0एम0,उ0प्र0।
11 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

संयुक्त निदेशक
मातृ शिशु कल्याण

संलग्नक-1

प्रारूप–18A

मातृ मृत्यु समीक्षा– मासिक रिपोर्टिंग प्रपत्र वर्ष 2014–15

माह ....

क्र0सं0	जनपद	वर्ष में कुल अनुमानित मातृ मृत्युओं की संख्या	सूचित मातृ मृत्युओं की संख्या		समुदाय द्वारा सूचित मातृ मृत्युओं की संख्या				स्वास्थ्य इकाई द्वारा सूचित मातृ मृत्युओं की संख्या		मातृ मृत्यु का सीन						मातृ मृत्यु समीक्षा की स्थिति				मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये समीक्षा केसों की संख्या		जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये केसों की संख्या		MCTS में अंकित की गयी मातृ मृत्युओं की संख्या	HMIS में अंकित विस्तृत विवरणों की संख्या	आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों की संख्या	आयोजित मण्डल स्तरीय त्रैमासिक समीक्षा बैठकों की संख्या
					आशा द्वारा सूचित		अन्य द्वारा सूचित				स्वास्थ्य इकाई में		घर में		रास्तें में		समुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा किये गये केसों		स्वास्थ्य इकाई आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा									
			मासिक	क्रमिक	मासिक	क्रमिक	मासिक	क्रमिक	मासिक	क्रमिक	मासिक	क्रमिक	मासिक	क्रमिक	मासिक	क्रमिक	मासिक	क्रमिक	मासिक	क्रमिक	मासिक	क्रमिक	मासिक	क्रमिक	क्रमिक	क्रमिक	क्रमिक	क्रमिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

संलग्नक-2

Annexure 2

स्वतंत्र मातृ मृत्यु समीक्षा पायलेट परियोजना हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्र वर्ष 2014–15

मण्डल .... जनपद.....................................माह ....

क्र0सं0	वर्ष 2014–15 में अनुमानित मातृ मृत्युओं की संख्या	स्वतंत्र मातृ मृत्यु समीक्षक दल का गठन हुआ या नहीं (हाँ / नहीं)	दल के सदस्यों के नाम एवं मो0नं0	वर्ष 2014–15 में सूचित मातृ मृत्युओं की संख्या (क्रमिक)	वर्ष 2014–15 में स्वतंत्र समीक्षक दलों द्वारा की गयी समदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षाओं की संख्या	वर्ष 2014–15 में स्वतंत्र समीक्षक दलों को किया गया भुगतान (एफ.एम.आर. कोड– **A.1.5.5)**

मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु विभिन्न समितियों का गठन

1. Facility Maternal Death Review Committee (FMDRC)

Members of the FMDRC may be the following:

a. **Teaching hospital:**
- Superintendent of the Hospital/ Other Administrative Head of the Institution
- Head Of Department (OBG dept)
- FNO (Obstetrician from the department)
- At least three members should be OBG specialists from the Dept
- One anaesthetist
- One blood bank MO
- Nursing representative
- One physician

b. **District/Other hospitals (FRU-L3):**
- Hospital superintendent
- FNO (Obstetrician from the Dept)
- At least two obstetricians/MO in OBG department as members
- One anaesthetist
- One blood bank MO
- Nursing representative
- One physician

2. District Maternal Death Review Committee
- CMO/CS (chairman)
- DNO (member secretary)
- ACMO
- Head of Department of Obstetrics & Gynaecology (teaching hospital/district hospital)
- Anaesthetist
- Officer in charge of blood bank/blood storage centre
- Senior nurse nominated by the CMO/CS/DPHNO
- MO who had attended the case in the facility should be invited

3. MDR Review Committee with the District Magistrate
- Chair: District Magistrate
- CMO
- DNO
- Facility based nodal officers
- FOGSI
- IMA
- The close relatives/friends who were with the deceased mother during the time would be invited for the meeting, as well as the service providers who had attended on the case.

4. Block Level Community based MDR Review Team
- MO I/C or Any other Medical Officer
- LHV
- ANM

Maternal Death Review- District wise Budget Allocation 2014-15

FMR- Code			A.1.4	A.1.5.2	A.1.5.3	A.1.5.4	A.1.5.5	B1.1.3.1.2	A.1.4	A.1.5.2	A.1.5.3	A.1.5.4	A.1.5.5	B1.1.3.1.2	A.9.3.7.1	Total Budget to Districts
			Physical target for 2014-15						Budget (Rs. Lakhs)							
S/N	Division	District	Maternal Death Review (60% of exp. Mat. death)	Printing of Formats for MDR	Alternate month district MDR Review	Quaterly Divisional MDR Review	MDR by independent evaluation teams	Maternal Death Audit Information	Maternal Death Review (@ Rs.300.00 per CBMDR)	Printing of Formats for MDR (@ Rs. 1000 per year for all block and district)	Alternate month district MDR Review (@ Rs. 2000.00 per	Quaterly Divisional MDR Review (@ Rs. 25000.00 per review)	MDR by independent evaluation teams (@ Rs.3000.00 per CBMDR)	Maternal Death Audit Information (@ Rs. 200.00 per informati	MDR Training at District Level	
1	Agra	Agra	115	16	6	4	-	382	0.345	0.160	0.120	1.000	-	0.764	1.564	3.953
2	Agra	Firozabad	70	10	6	-	-	232	0.21	0.100	0.120	-	-	0.464	0.782	1.676
3	Agra	Mainpuri	47	10	6	-	-	156	0.141	0.100	0.120	-	-	0.312	0.782	1.455
4	Agra	Mathura	64	11	6	-	-	212	0.192	0.110	0.120	-	-	0.424	0.782	1.628
5	Aligarh	Aligarh	201	13	6	4	-	670	0.603	0.130	0.120	1.000	-	1.340	0.782	3.975
6	Aligarh	Etah	98	9	6	-	-	328	0.294	0.090	0.120	-	-	0.656	0.782	1.942
7	Aligarh	Hathras	75	8	6	-	-	250	0.225	0.080	0.120	-	-	0.500	0.782	1.707
8	Aligarh	Kasganj	81	8	6	-	-	270	0.243	0.080	0.120	-	-	0.540	0.782	1.765
9	Allahabad	Allahabad	365	21	6	4	426	1218	1.095	0.210	0.120	1.000	12.780	2.436	1.564	19.205
10	Allahabad	Fatehpur	143	14	6	-	167	476	0.429	0.140	0.120	-	5.010	0.952	0.782	7.433
11	Allahabad	Kaushambi	113	9	6	-	132	376	0.339	0.090	0.120	-	3.960	0.752	0.782	6.043
12	Allahabad	Pratapgarh	182	18	6	-	212	606	0.546	0.180	0.120	-	6.360	1.212	1.564	9.982
13	Azamgarh	Azamgarh	245	23	6	4		816	0.735	0.230	0.120	1.000	-	1.632	1.564	5.281
14	Azamgarh	Ballia	170	18	6	-		566	0.51	0.180	0.120	-	-	1.132	1.564	3.506
15	Azamgarh	Mau	106	10	6	-		352	0.318	0.100	0.120	-	-	0.704	0.782	2.024
16	BAREILLY	BAREILLY	254	16	6	4	296	846	0.762	0.160	0.120	1.000	8.880	1.692	1.564	14.178
17	BAREILLY	Budaun	207	16	6	-	242	690	0.621	0.160	0.120	-	7.260	1.380	1.564	11.105
18	BAREILLY	Pilibhit	112	8	6	-	130	372	0.336	0.080	0.120	-	3.900	0.744	0.782	5.962
19	BAREILLY	Shahjhanpur	185	16	6	-	216	616	0.555	0.160	0.120	-	6.480	1.232	1.564	10.111
20	Basti	Basti	173	15	6	4	202	576	0.519	0.150	0.120	1.000	6.060	1.152	1.564	10.565
21	Basti	Sant Kabir Nagar	137	10	6	-	160	456	0.411	0.100	0.120	-	4.800	0.912	0.782	7.125
22	Basti	Siddharth Nagar	257	15	6	-	300	856	0.771	0.150	0.120	-	9.000	1.712	1.564	13.317
23	Chitrakoot	Banda	92	9	6	4		308	0.276	0.090	0.120	1.000	-	0.616	0.782	2.884
24	Chitrakoot	Chitrakoot	46	6	6	-		154	0.138	0.060	0.120	-	-	0.308	0.782	1.408
25	Chitrakoot	Hamirpur	47	8	6	-		156	0.141	0.080	0.120	-	-	0.312	0.782	1.435
26	Chitrakoot	Mahoba	40	5	6	-		132	0.12	0.050	0.120	-	-	0.264	0.782	1.336
27	Faizabad	Ambedkar nagar	166	10	6	-	193	552	0.498	0.100	0.120	-	5.790	1.104	0.782	8.394
28	Faizabad	AMETHI	140	17	6	-	163	466	0.42	0.170	0.120	-	4.890	0.932	1.564	8.096

Maternal Death Review- District wise Budget Allocation 2014-15

FMR- Code			A.1.4	A.1.5.2	A.1.5.3	A.1.5.4	A.1.5.5	B1.1.3.1.2	A.1.4	A.1.5.2	A.1.5.3	A.1.5.4	A.1.5.5	B1.1.3.1.2	A.9.3.7.1	Total Budget to Districts
			Physical target for 2014-15						Budget (Rs. Lakhs)							
S/N	Division	District	Maternal Death Review (60% of exp. Mat. death)	Printing of Formats for MDR	Alternate month district MDR Review	Quaterly Divisional MDR Review	MDR by independent evaluation teams	Maternal Death Audit Information	Maternal Death Review (@ Rs.300.00 per CBMDR)	Printing of Formats for MDR (@ Rs. 1000 per year for all block and district)	Alternate month district MDR Review (@ Rs. 2000.00 per	Quaterly Divisional MDR Review (@ Rs. 25000.00 per review)	MDR by independent evaluation teams (@ Rs.3000.00 per CBMDR)	Maternal Death Audit Information (@ Rs. 200.00 per informati	MDR Training at District Level	
29	Faizabad	Barabanki	238	16	6	-	277	792	0.714	0.160	0.120	-	8.310	1.584	1.564	12.452
30	Faizabad	Faizabad	173	12	6	4	202	578	0.519	0.120	0.120	1.000	6.060	1.156	0.782	9.757
31	Faizabad	SULTANPUR	152	14	6	-	178	508	0.456	0.140	0.120	-	5.340	1.016	0.782	7.854
32	Gonda	BAHRAICH	274	15	6	-	319	912	0.822	0.150	0.120	-	9.570	1.824	1.564	14.050
33	Gonda	BALRAMPUR	188	10	6	-	219	626	0.564	0.100	0.120	-	6.570	1.252	0.782	9.388
34	Gonda	Gonda	227	17	6	4	265	758	0.681	0.170	0.120	1.000	7.950	1.516	1.564	13.001
35	Gonda	SHRAWASTI	112	6	6	-	130	372	0.336	0.060	0.120	-	3.900	0.744	0.782	5.942
36	Gorakhpur	DEORIA	161	17	6	-	-	536	0.483	0.170	0.120	-	-	1.072	1.564	3.409
37	Gorakhpur	Gorakhpur	219	20	6	4	-	730	0.657	0.200	0.120	1.000	-	1.460	1.564	5.001
38	Gorakhpur	Kushi Nagar	217	15	6	-	-	724	0.651	0.150	0.120	-	-	1.448	1.564	3.933
39	Gorakhpur	Maharajganj	156	13	6	-	-	520	0.468	0.130	0.120	-	-	1.040	0.782	2.540
40	Jhansi	Jalaun	50	10	6	-	-	166	0.15	0.100	0.120	-	-	0.332	0.782	1.484
41	Jhansi	Jhansi	50	9	6	4	-	166	0.15	0.090	0.120	1.000	-	0.332	0.782	2.474
42	Jhansi	Lalitpur	45	7	6	-	-	150	0.135	0.070	0.120	-	-	0.300	0.782	1.407
43	Kanpur Nagar	AURAIYA	53	8	6	-	-	176	0.159	0.080	0.120	-	-	0.352	0.782	1.493
44	Kanpur Nagar	Etawah	57	9	6	-	-	190	0.17	0.090	0.120	-	-	0.380	0.782	1.542
45	Kanpur Nagar	FARRUKHABAD	80	8	6	-	-	266	0.24	0.080	0.120	-	-	0.532	0.782	1.754
46	Kanpur Nagar	Kannauj	63	9	6	-	-	210	0.189	0.090	0.120	-	-	0.420	0.782	1.601
47	Kanpur Nagar	KANPUR DEHAT	56	11	6	-	-	186	0.168	0.110	0.120	-	-	0.372	0.782	1.552
48	Kanpur Nagar	Kanpur Nagar	124	11	6	4	-	412	0.372	0.110	0.120	1.000	-	0.824	0.782	3.208
49	LUCKNOW	HARDOI	253	20	6	-	-	844	0.759	0.200	0.120	-	-	1.688	1.564	4.331
50	LUCKNOW	Kheri	246	16	6	-	-	820	0.738	0.160	0.120	-	-	1.640	1.564	4.222
51	LUCKNOW	LUCKNOW	194	9	6	4	-	648	0.582	0.090	0.120	1.000	-	1.296	0.782	3.870
52	LUCKNOW	RAEBARELI	122	16	6	-	-	408	0.366	0.160	0.120	-	-	0.816	1.564	3.026
53	LUCKNOW	Sitapur	286	20	6	-	-	954	0.858	0.200	0.120	-	-	1.908	1.564	4.650
54	LUCKNOW	Unnao	145	17	6	-	-	484	0.435	0.170	0.120	-	-	0.968	1.564	3.257
55	MEERUT	Baghpat	37	7	6	-	-	124	0.11	0.070	0.120	-	-	0.248	0.782	1.330
56	MEERUT	Bulandshahar	120	17	6	-	-	400	0.36	0.170	0.120	-	-	0.800	1.564	3.014

Maternal Death Review- District wise Budget Allocation 2014-15

FMR- Code			A.1.4	A.1.5.2	A.1.5.3	A.1.5.4	A.1.5.5	B1.1.3.1.2	A.1.4	A.1.5.2	A.1.5.3	A.1.5.4	A.1.5.5	B1.1.3.1.2	A.9.3.7.1	Total Budget to Districts
			Physical target for 2014-15						Budget (Rs. Lakhs)							
S/N	Division	District	**Maternal Death Review (60% of exp. Mat. death)**	Printing of Formats for MDR	Alternate month district MDR Review	Quaterly Divisional MDR Review	MDR by independent evaluation teams	Maternal Death Audit Information	Maternal Death Review (@ Rs.300.00 per CBMDR)	Printing of Formats for MDR (@ Rs. 1000 per year for all block and district)	Alternate month district MDR Review (@ Rs. 2000.00 per	Quaterly Divisional MDR Review (@ Rs. 25000.00 per review)	MDR by independent evaluation teams (@ Rs.3000.00 per CBMDR)	Maternal Death Audit Information (@ Rs. 200.00 per informati	MDR Training at District Level	
57	MEERUT	GB Nagar	59	5	6	-	-	198	0.177	0.050	0.120	-	-	0.396	0.782	1.525
58	MEERUT	Ghaziabad	99	5	6	-	-	330	0.297	0.050	0.120	-	-	0.660	0.782	1.909
59	MEERUT	Hapur	44	5	6	-	-	146	0.132	0.050	0.120	-	-	0.292	0.782	1.376
60	MEERUT	MEERUT	109	13	6	4	-	362	0.327	0.130	0.120	1.000	-	0.724	0.782	3.083
61	Mirzapur	Mirzapur	83	13	6	4	-	278	0.249	0.130	0.120	1.000	-	0.556	0.782	2.837
62	Mirzapur	Sonbhadra	82	9	6	-	-	272	0.246	0.090	0.120	-	-	0.544	0.782	1.782
63	Mirzapur	SRN Bhadohi	58	7	6	-	-	192	0.174	0.070	0.120	-	-	0.384	0.782	1.530
64	MORADABAD	Amroha	90	7	6	-	-	300	0.27	0.070	0.120	-	-	0.600	0.782	1.842
65	MORADABAD	Bijnaur	160	12	6	-	-	536	0.48	0.120	0.120	-	-	1.072	0.782	2.574
66	MORADABAD	MORADABAD	148	9	6	4	-	496	0.444	0.090	0.120	1.000	-	0.992	0.782	3.428
67	MORADABAD	Rampur	108	7	6	-	-	364	0.324	0.070	0.120	-	-	0.728	0.782	2.024
68	MORADABAD	Sambhal	112	9	6	-	-	376	0.336	0.090	0.120	-	-	0.752	0.782	2.080
69	Saharanpur	Muzaffarnagar	98	10	6	-	-	328	0.294	0.100	0.120	-	-	0.656	0.782	1.952
70	Saharanpur	Saharanpur	139	12	6	4	-	462	0.417	0.120	0.120	1.000	-	0.924	0.782	3.363
71	Saharanpur	Shamli	50	6	6	-	-	166	0.15	0.060	0.120	-	-	0.332	0.782	1.444
72	Varanasi	chandauli	112	10	6	-	-	372	0.336	0.100	0.120	-	-	0.744	0.782	2.082
73	Varanasi	Ghazipur	188	17	6	-	-	628	0.564	0.170	0.120	-	-	1.256	1.564	3.674
74	Varanasi	Jaunpur	220	22	6	-	-	734	0.66	0.220	0.120	-	-	1.468	1.564	4.032
75	Varanasi	Varanasi	156	9	6	4	-	522	0.468	0.090	0.120	1.000	-	1.044	0.782	3.504
Total			**10,144**	**895**	**450**	**72**	**4,429**	**33812**	**30.430**	**8.950**	**9.000**	**18.000**	**132.870**	**67.624**	**78.20**	345.074